न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 154/2011

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. झुमरराम पुत्र गोपाराम
जाति-मेघवाल, निवासी-निम्बोल
तह.-जैतारण, जिला-पाली

1. जवरीलाल पुत्र मुलाराम
जाति-बावरी, निवासी-लितरिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली
2. लेण्ड होल्डर जरिये
तहसीलदार,जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.09.09.2011

उपस्थितः- 1. श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 01/07/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल ने गैरसायल सं. 1 के पिता से दिनांक 01/06/1988 सरहद मौजा-लितरिया, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 193 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के रुपये 9000/- रोकड़ अदा करके गैरसायल के पिता मूलाराम से खरीद की थी। जिसका बैचान दस्तावेज उपपंजीयन कार्यालय जैतारण में पंजीयन कराया गया था, जिस पर गैरसायल सं.1 की साख भी डाली गयी है। बैचान दस्तावेज की नकल व वर्तमान जमाबंदी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। गैरसायल के पिता मूलाराम द्वारा वाद/प्रार्थना पत्र के सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बैचान कर सायल को उसी समय कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। सायल उस समय से लेकर आज तक कब्जा बिना किसी रोक टोक, बेदखल के चला आ रहा है। सायल अनपढ व्यक्ति है। इसलिये अपने पक्ष में बैचान दस्तावेज पंजीयन हो जाने के बाद व राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की जानकारी नही होने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा ये कहने पर की म्युटेशन भर दिया जायेगा कि बात पर विश्वास कर लिया गया। सायल उपरोक्त जमीन पर काश्त करने व उपयोग व उपभोग करने के कारण बंटवाड़े कराने व अपने नाम की राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। उपरोक्त कृषि भूमि का सायल के पक्ष में बैचान हो जाने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में विक्रेता मूलाराम का ही नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रहा, जो एक सद्भाविक भूल थी। जिसकी मृत्यु के पश्चात् पटवारी ने बिना कोई दस्तावेजों की जांच किये सायल के नाम म्युटेशन भरने के बजाय गैरसायल के नाम म्युटेशन संख्या 364 दिनांक 28/10/2007 को भर दिया गया, जो एक रोंग एन्ट्री हैं तथा सायल के अधिकारों के विपरीत होने से एक शून्य

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज है। गैरसायल के नाम तत्कालीन पटवारी ने मिलीभगत कर जमीन का म्युटेशन सायल के पक्ष में न भरके गैरसायल के पक्ष भर दिया। म्युटेशन नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त जमीन पर सायलान का कब्जा काश्त होने तथा इनके द्वारा ही उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। गैरसायल ने षडयन्त्र पूर्वक अपने नाम अपने पिता द्वारा म्युटेशन भरवाने का नाजायज फायदा उठाकर उपरोक्त जमीन का बैचान करने के आशय से मौके पर दिनांक 20/08/2011 को खरीददार को लेकर आया सायल द्वारा पूछताछ करने पर गैरसायल ने कहा कि उपरोक्त जमीन का म्युटेशन उसके नाम का भरा हुआ है। वह इस जमीन का रेकर्डेड खातेदार है, जिसका बैचान, रहन, वसीयत बख्शीश आदि करने का अधिकार मुझे एक मात्र है। सायल द्वारा उपरोक्त जमीन को उसके पिता से खरीद करने तथा बैचान दस्तावेज बताने के बावजूद भी गैरसायल सायल की बात से संतुष्ट नही हुआ तथा गैरसायल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह इस जमीन का बैचान, बख्शीश, वसीयत रहन आदि कर देगा। उपरोक्त सायल जमीन के रजिस्टर्ड स्वामी हैं, जिसका नाम तत्कालीन पटवारी की भूलवश राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से रह गया है। इसलिए सायल अपने नाम का इन्द्राज बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज कराने के अधिकारी है तथा अपने नाम की राजस्व रेकर्ड में घोषणा कराने के अधिकारी है। यदि सायल उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड नाम दर्ज नहीं किया जाता हैं, तो सायल को असीम क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। सायल उपरोक्त कृषि भूमि को जरिये बैचान खरीद की है इसलिए गेरसायल को किसी भी प्रकार से बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत करने का कोई अधिकार नही है। यदि गैरसायल गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में अपने नाम अंकित के आधर पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे बैचान वसीयत कर देते हैं, तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। सायल अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा गैरसायलन् प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। सायल जरिये पंजीबद्ध बैचान दस्तावेज व कब्जे के आधार पर अपने नाम की राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। इसलिए उनके नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हैं। गैरसायल को उक्त वर्णित कृषि भूमि का उनके पिता द्वारा बेचान कर देने तथा बैचान की जानकारी होने के बावजूद भी वह बैचान करना चाहता हैं, जिसे कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र बखुबी साबित है लेकिन गैरसायल द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने व बैचान की धमकी देने पर सायल के पास श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई रास्ता नही होने से ये प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान के प्रस्तुत किया जार रहा हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09/09/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। उक्त विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–लितरिया, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 193 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 09/09/2011 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पाली का पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner